न्यायालय उपजिलाधिकारी फूलपुर इलाहाबाद
मु० नं० 47 धारा 143 ज०वि०अधि०
अग्रवाल एजूकेशन सोसाइटी बनाम गावसभा
मौजा हबीबपुर परगना झूंसी तहसील फूलपुर इलाहाबाद
नकल निर्णय दिनांक 12-9-11

न्यायालय उप जिलाधिकारी फूलपुर, इलाहाबाद।

वाद सं0 वर्ष 2011

अग्रवाल एजुकेशन सोसाइटी 1/4 लाल राम नारायण रोड बैंक रोड इलाहाबाद।

बनाम

गांवसभा द्वारा प्रधान मौजा हबीबपुर, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, इलाहाबाद।

मौजा हबीबपुर, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, इलाहाबाद।

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0

निर्णय

प्रस्तुत वाद अग्रवाल एजुकेशन सोसाइटी 1/4 लाल राम नारायण रोड बैंक रोड, इलाहाबाद द्वारा अध्यक्ष श्री आनन्द अग्रवाल पुत्र स्व0 लक्ष्मण दास अग्रवाल निवासी 1/4 बैंक रोड इलाहाबाद के द्वारा योजित किया गया और अनुरोध किया गया कि ग्राम हबीबपुर, परगना झूंसी स्थित आराजी सं0 52 रकबा 0.6710हे0 का वादी संक्रमणीय भूमिधर काबिज दाखिल है। वादग्रस्त भूमि वादी ने स्कूल के नाम से क्रय किया है तथा मौके पर बाउण्ड्री बनाकर स्कूल का निर्माण कर रहा है। विवादित भूमि में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए वादग्रस्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाए। पत्रावली जांच हेतु तहसीलदार फूलपुर को भेजी गयी। तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या मय नजरी नक्शा के साथ प्रस्तुत हुई।

मैंने जांच अधिकारी तहसीलदार फूलपुर की आख्या का विधिवत अवलोकन किया। जांच अधिकारी तहसीलदार फूलपुर ने अपनी जांच आख्या में अवगत कराया है कि वादग्रस्त भूमि सं0 52 रकबा 0.6710हे0 स्थित ग्राम हबीबपुर, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, इलाहाबाद का अभिलेखीय परीक्षण किया। वादी का नाम वादग्रस्त भूमि पर सहखातेदार के रूप में अंकित है। वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि वादग्रस्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका रकबा 0.6480हे0 अकृषिक दर्ज किया जाए।

जांच अधिकारी तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध वर्ष 1417 लगायत 1422 फसली के उद्धरण खतौनी का भी अनुशीलन किया। जांच अधिकारी तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध नकल खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि सं0 52 रकबा 0.6710हे0 भूमि में से रकबा 0.6480हे0 भूमि परकम्पनी के द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। वादग्रस्त भूमि अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम हबीबपुर, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, इलाहाबाद स्थित आराजी सं0 52 रकबा 0.6710हे0 भूमि में से रकबा 0.6480हे0 भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

दिनांकः

(हस्ताक्षर) 12/9/11

(घनश्याम)

उप जिलाधिकारी फूलपुर,

इलाहाबाद।

26-9-11
27-9-11
27-9-11
185
(हस्ताक्षर) 27/9/11

TRUE COPY
(हस्ताक्षर) 27/9/11

4/8

FOR COPYING FEES ONLY — TWO RUPEES — COURT FEE — INDIA